

2020/00012

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वादी/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
05/20	88,89,188 R/M	इलाहाबाद	इलाहाबाद
वादी AB 5/2020	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
महेश्वर तिवारी	बनाम	विनोद कुमार कौर	

वकील :- **सईद अहमद एडवो.** आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

05/20

अभिभावक प्रार्थी द्वारा गद पत्र अन्वयित धारा 88,89,188 R/M विनोद अहमद कौर के, इस न्यायालय में पेश किया गया। रिजॉर्ट अर्जिस्टरी की अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार किया जाने तथा अहमद कौर को अर्जिये समस्त तलक कर पत्रावली दिनांक 8/1/2020 को पेश हो।

8/20

न्यायालयीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वतन स्थिति में दिनांक 10/1/2020 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

10/1/20

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1, 5 व 7 को शोर से श्री हेमराज कुशवाह एडवो. को अवलोकन तथा पेश हुआ जो शोर किं किया गया प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4, 6, 8 व 9 को रजिस्टर्ड AD तलवागी भोज ही पेश करे। करते तलवागी/पकीव पत्रावली दिनांक 16/3/20 को पेश हो।

16/3/20

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष बारां उपस्थित। प्रतिवादी क्रम 2, 3, 4, 6, 8 व 9 को रजि. AD तलवागी भोज ही पेश करे। करते तलवागी/पकीव पत्रावली दिनांक 24/4/20 को पेश हो।

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

क्रमांक

30-10-24

आज पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
ब्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक 5-11-24 को पेश हो।

सुप
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

5-11-24

पत्रावली पेश हुई वकील जर्नी / वाडी उफर नई नई
वाडी करा जर्नी वाडी कर 2, 3, 4, 6, 8 व 9 की रजिस्ट्री
है उपरान्त पेश नहीं किया गया। अर्ज के जारी
की उपरान्त पेश कर के विरुद्ध डिफेंडेंट को उफर
वाड भी वकील जर्नी / वाडी करा जर्नी नहीं गज
की रजिस्ट्री है उपरान्त पेश नहीं किया गया।
वाडी कर वाड उपरान्त के ऊपर के 09RS CPC
के तहत जारी किया जाय श्री पत्रावली फेफल उजाट
है कर वाड वकील वकील के दखिल इफर हो।